19

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर कैंप सागर

P3470-I-16

कुंजी वल्द चेतू आदिवासी
निवासी ग्राम–बदोना,
तह0व जिला–सागर(म0प्र0) .....आवेदक

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा–कलेक्टर,सागर(म0प्र0) .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के प्र0क्र0 176–अ/21/2015–16 में पारित आदेश दिनाँक 27.09.2016 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक की ग्राम बदौना प0ह0नं0 51 ख0नं0 832एवं 833 रकवा क्रमशः 0.50हे0एवं0.30हे0कुल 0.80हे0भूमि को विकय हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वह जाति से आदिवासी है, वृद्ध है जिस कारण से उसकी शारिरिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह अपनी उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है इस कारण से वह अपनी भूमि को भगाई पर अन्य व्यक्ति को दे देता है किंतु भूमि पर उतनी उपज न होने से वह अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नही कर पा रहा है जिस कारण वह अपनी भूमि का विकय कर इस वृद्धावस्था में अपने ही घर पर छोटा सा व्यवसाय करके अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के उक्त आवेदन पर दिनाँक 03.05.2012 को प्रकरण तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार जाँच कर प्रतिवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने हेतु निर्देशित किया, जिस पर तहसीलदार महोदय ने कलेक्टर के आदेश के पालन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में इश्तहार जारी करने एवं पटवारी से प्रतिवेदन लिये जाने हेतु दिनाँक 25.05.2012 की पेशी नियत की

Page-2Cont-----

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.3470-I/16 ...... जिला सागर सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-10-16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर सागर के प्र.क्र. 176/अ—121/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्व म.प्र.भू—राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को ग्राम बदौना प.ह.नं.51 तहसील व जिला—सागर की भूमि ख.क्र. 832, 833 रकवा कमशः 0.50 हे0, 0.30 हे0 कुल रकवा 0.80हे0 का पट्टा प्रदाय किया गया था। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया गया है। उन्होंने तर्क किया है कि आवेदक 70 वृद्ध है जो कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं है तथा बीमारी से भी ग्रस्त है इस कारण उपरोक्त भूमि के विकय किए जाने हेतु अनुमति चाही थी जो लंबे समय से विचाराधीन रही है आवेदक कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं हैं इस कारण वह भूमि विकय कर अपना इलाज एवं अन्य साधन से जीविका चलाना चाहता है यदि उसे पैसा नहीं मिला तो मरने के बाद उक्त भूमि उसके किस काम आयेगी विचार किया जाये। उक्त आधार पर उन्होनें प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुए भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। 4— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। आवेदक ने कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि	

R. 3470-I/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

विक्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था आवेदक के आवेदन पर दिनांक 03.05.2012 को प्रकरण तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार जॉच कर प्रतिवेदन चाहा था प्रकरण वर्ष 2012 से 2016 तक विचाराधीन रहा है तहसीलदार सागर के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा भूमि विक्रय हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को वर्ष 83–84 के अनुसार भूमि स्वामी हक प्रदान किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन के क्र.7 में आवेदक वृद्ध अवस्था के कारण कृषि कार्य करने में असमर्थ होने का उल्लेख आया है। ऐसी स्थिति में पट्टेदार भूमि के अंतरण हेतु स्वतंत्र है आवेदक 70 वर्षीय वृद्ध एवं बीमार है उसके द्वारा मेरे समक्ष चिकित्सा के दस्तावेज प्रस्तुत किए है अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.16 निरस्त किया जाकर आवेदक को ग्राम बदौना में स्थित भूमि खसरा नंबर 832, 833 रकवा 0.50 हे0, 0.30 हे0 कुल रकवा 0.80 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विक्रय–विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं – उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें।

सदस्य